प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 21 जनवरी, 2022

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर अगुस्ता 109एस (वी0टी0-यू0पी0एल0) के इंजन के पुर्जा Fuel Metering Module का एक्सचेन्ज के आधार पर क्रय किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-502/ना0उ0नि0/यूपीएल-09-आई/2022(P-04) दिनांक 07 जनवरी, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके सन्दर्भित पत्र में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर A109S, वी0टी0-यू0पी0एल0 के एक इंजन के Fuel Metering Module (FMM) में कतिपय खराबी होने के कारण Fuel Metering Module (FMM) पार्ट संख्या 3054277-02 क्र0सं0-16550899 को Fuel Metering Module (FMM) 8063-1085 से एक्सचेंज के आधार पर क्रय किया जाना आवश्यक है। अत: श्री राज्यपाल राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर A109S, वी0टी0-यू0पी0एल0 के एक इंजन के Fuel Metering Module (FMM) पार्ट संख्या 3054277-02 क्र0सं0-16550899 को Fuel Metering Module (FMM) 8063-1085 से एक्सचेंज के आधार पर हेलीकाप्टर इंजन के निर्माता M/s Pratt & Whitney Component Solution, 4905 Stariha Drive, Muskegon, MI, 49441 USA से क्रय करने की प्रशासकीय एवं फर्म से प्राप्त कोटेशन संख्या-20029207 दिनांक 04.01.2022 के अनुसार यू0एस0 डालर 58820.48 जो भारतीय मुद्रा में रूपए 78/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से रूपए 45,87,997/- (रूपए पैतालीस लाख सत्तासी हजार नौ सौ सत्तानबे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण की स्वीकृति तथा निर्माता द्वारा भेजे गये Fuel Metering Module (FMM) के प्राप्ति के उपरान्त खराब Unit पार्ट न0-3054277-02 क्र0सं0-16550899 को वापस निर्माता को एक्सचेंज के अंतर्गत भेजने की अनुमति दिए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्ताकिंत आकड़ों में किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10-06-2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15-1(1)/69, दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जायेगी।

4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आहरण/समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा ।

9- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

11- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

12- यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन ''राजस्व लेखा लेखाशीर्षक – 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय एवं रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-3461/दस-2021-22 दिनांक: 19 जनवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्या: 06/2022/32(1)/छप्पन-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।